(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री धनराज पुत्र श्री मोहनलाल जाति महाजन निवासी राजपुरा वार्ड, सोहन जी माली की बाड़ी, बारां जिला बारॉ(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स रामावतार राजेन्द्र प्रसाद, हॉस्पिटल रोड, नाले के पास, बारां
2. मैसर्स रामावतार राजेन्द्र प्रसाद, हॉस्पिटल रोड, नाले के पास, बारां
3. श्री मंगलचंद कसेरा पुत्र श्री सीताराम कसेरा निवासी MisbA-004, GH-III, Max Heights Majestic, Nindad, Suncity Township, Sikar Road, Harmada, Jaipur Raj-302013 मैसर्स एम.के. ट्रैडर्स, सी–225, अरावली विहार, माचेड़ा जयपुर राज.
4. मैसर्स एम.के. ट्रैडर्स, सी–225, अरावली विहार, माचेड़ा जयपुर राज.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री रवेन्द्र सिंह ठैनुवा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 07.08.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.02.2023 को मैसर्स रामावतार राजेन्द्र प्रसाद, हॉस्पिटल रोड, नाले के पास, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री धनराज पुत्र श्री मोहनलाल महाजन(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से का[illegible] किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:34:02 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **एगमार्क घी(शुद्ध) मूल गत्ते पैक 200 एम.एल.** के 04 किग्रा. मूल गत्ते पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना [illegible] पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **एगमार्क घी(शुद्ध) मूल गत्ते पैक 200 एम.एल** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **एगमार्क घी(श्रद्धा) मूल गत्ते पैक 200 एम. एल** के 04 मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री धनराज पुत्र श्री मोहनलाल महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 400/– रूपये (अक्षरे चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **एगमार्क घी(श्रद्धा) मूल गत्ते पैक 200 एम.एल** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1657 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1657 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री धनराज पुत्र श्री मोहनलाल महाजन(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/88 दिनांक 28.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 134/PHL/Kota/Act/2023/134 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य **एगमार्क घी(श्रद्धा) मूल गत्ते पैक 200 एम.एल** मिथ्याछाप (**Misbranded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:34:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **एगमार्क घी(श्रद्धा) मूल गत्ते पैक 200 एम.एल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद मे अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र तथा समस्त दस्तावेजात जो परिवाद पत्र के साथ पेश किये गये है उनसे प्रथम दृष्टया मामला मिसब्राण्ड का अप्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं बनता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म सं. 5 ए में खाद्य पदार्थ घी की लेबल संबंधित पूर्ण जानकारीव सूचनाएं व घोषणाओं का अंकन किया गया है जिसके अनुसार भी खाद्य पदार्थ पर उपभोग समय की तारीख का आंकलन किया हुआ है। खाद्य पदार्थ को यूज करने की सीमा तारीख तक ब्राण्ड लेबल पर लिखी हुई है जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ का उपयोग एवं उपभोग में लेने की तारीख का अभिज्ञान होता है। उक्त खाद्य पदार्थ ही श्रद्धा ब्राण्ड मुं गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर का पाया गया है व यूज बाई शब्द लिखना अधिनियम वाद संशोधन हुआ था जिसका अभिज्ञान अप्रार्थीगण को नहीं था। अप्रार्थीगण छोटे स्तर के व्यापारी है तथा एफएसएसआई का खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर व्यापार का संचालन करते है तथा प्रथम बार सेम्पल बतौर माल व्यापार शुरू किया था। मार्केटिंग प्रचार–प्रसार हेतु माल वितरण किया गया था जिससे भूलवश आगामी खरीद बिल अभियुक्त संख्या 3 द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 32 सुधारात्मक कार्यवाही का निर्देश देती है जिसके तहत भी विभाग द्वारा लेबल संबंधित दुरूस्तीकरण का नोटिस नहीं दिया गया है इसलिये अप्रार्थीगण के खिलाफ मामला चलने योग्य नहीं है तथा अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थनीय है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त उज्रात पर गौर फरमाते हुए अप्रार्थीगण के खिलाफ आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 134/PHL/Kota/Act/2023/134 दिनांक 22.02.2023 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **एगमार्क घी(श्रद्धा) मूल गत्ते पैक 200 एम.एल** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 134/PHL/Kota/Act/2023/134 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 90,000/– रूपये (अक्षरे नब्बे हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **07.08.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:34:02 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)